रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 22, 2013/माघ 2, 1934

No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 22, 2013/MAGHA 2, 1934

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2013

का.आ. 225(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन के लिए अपेक्षित है, अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उप-जिला अधिकारी, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके बिना संक्षिप्त विवरण।
जिले का नाम : कौशाम्बी

क्रम संख्या	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सिराथू	(1) धुमाई	836	0.0197
			289 मि.	0.0414
		(2) टीकरडीह	714	0.0123
		(3) बिदनपुर	134	0.0813
		(4) सिराथू	766	0.0060
			2572	0.0360
			1075 मि.	0.0750
			1668 मि.	0.3742
			2578 मि.	0.0355
		(5) कनवार	2956 मि.	0.0197
			2958	0.0614
2.	चायल	सैययद सरावां	1512	0.0515
			1511	0.0450
			1510	0.0525

[फा. सं. 2010/एलएमएल/12/3-ईस्टर्न कॉरीडोर]

ओ. पी. सिंह, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2013

S.O. 225(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Additional Sub Divisional Magistrate, Kaushambi, Uttar Pradesh in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh.
Name of the District : Kaushambi

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Area (in Hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sirathu	(1) Dhumai	836	0.0197
			289 Minj	0.0414
		(2) Teekardeeh	714	0.0123
		(3) Bidanpur	134	0.0813
		(4) Sirathu	766	0.0060
			2572	0.0360
			1075 Minj	0.0750
			1668 Minj	0.3742
			2578 Minj	0.0355
		(5) Kanwar	2956 Minj	0.0197
			2958	0.0614
2.	Chayal	Sayyid Sarawan	1512	0.0515
			1511	0.0450
			1510	0.0525

[F. No. 2010/LML/12/3-Eastern Corridor]

O. P. SINGH, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.